ईंट भट्ठा

प्रस्तुतीकरण- गोरखपुर जोन

1- ईंट भट्ठा (Brick Kiln)

- भट्ठा (Kiln) एक उष्मारोधी (थर्मली इन्सुलेटेड) चैम्बर को कहते हैं, जिसमें सुखाने, कठोर बनाने या रासायनिक परिवर्तन करने आदि की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त तापमान उत्पन्न करने की क्षमता है। ईंट की पकाई 800 ^{C} से 1000 ^{C} के तापमान पर होता है। मिट्टी से बने बर्तन, ईंट, टाइल्स आदि को पकाने के लिए भट्ठों का प्रयोग सहस्त्राब्दियों से किया जाता रहा है।
- भारत मिट्टी से बनी ईंटों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।
- अनुमान है कि भारत में 1,50,000 से अधिक ईंट भट्टे हैं, जो सालाना लगभग 150-200 अरब ईंटों का उत्पादन करते हैं।
- लगभग 3 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देते हैं और सालाना लगभग 2.5 करोड़ टन कोयले की खपत करते हैं।
- भारत में असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय ईंट भट्ठा है।

2-संचालन हेतु आवश्यक वस्तुएं एवं लाइसेंस

1– भूमि– स्वयं की अथवा कुछ अवधि के लिए लीज या पट्टे पर ली जाती है।

2– भूमि की मिट्टी– बलुई/दोमट मिट्टी ईंट के लिए अच्छी होती है।

3– बालू/रेता

रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस

1– जिला पंचायत

2– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3– खनन विभाग

4– माल एवं सेवा क

ईंट भट्ठा में प्रयुक्त ईंधन

1– कोयला

2– लकड़ी- प्रथम बार आग लगाते समय आवश्यकता पड़ती है ।

3–अन्य-

बगास/खोई
तूरी
धान की भूसी
लकड़ी का बुरादा

3-Brick Making Process (ईंट निर्माण प्रक्रिया)

पथाई- ईंट 4-5 दिनों में सूख जाती हैं ।

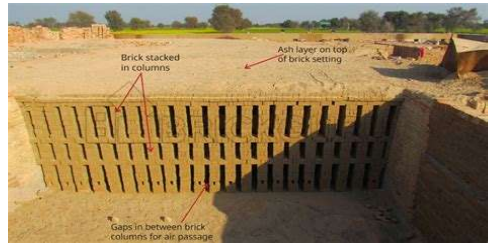

भराई- उसके उपरान्त भराई होती है ।

फुकाई/पकाई

निकासी- फूकाई के बाद 10-12 दिनों में जब ईंट ठण्डी हो जाती है तो बाहर निकाल कर चट्टा बनाकर रखा जाता है ।

बिक्री

4- ईंट भट्ठें में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली

- **पाया-** भट्ठे के अन्दर भट्ठे के चौड़ान में जो ईंट सीध में रखी जाती है उसे पाया कहते हैं। भट्ठे की चौड़ाई जितने फीट की होगी भट्ठा लगभग उतने पाये का होगा । ये Fix chimney bulls trench kiln (F.C.B.T.K.) पर लागू है। हाई ड्राफ्ट व जिगजैग भट्ठों में पाया मोटा होता है। अत: पायों की संख्या कम रहती है।
- **रद्दा-** ऊंचाई में भट्ठे के अन्दर क्रमवार ईंटे जो एक के ऊपर एक ईंट रखी जाती है, उन्हें रद्दा कहा जाता है।
- **पाटन-** एक या दो ईंट का पाटन होता है। भट्ठे में अन्तिम रद्दे के ऊपर पट ईंटें बराबर से बिछाकर उस पर रॉबिस/राख डाल दी जाती है, जिससे भट्ठे की गर्मी बाहर न जा सके।
- **कली-** बादामी/अण्डाकार भट्ठे में दोनों शिरा अर्धगोलाकार होता है। जहां पर बाहर की चौड़ाई अन्दर के चौड़ाई से अधिक होती है। आग मोड़ पर तीव्र गति से बढ़े इसलिए ऐसा होता है। इसका परिणाम यह होता है कि बाहर भाग में अधिक कली आती है। कलियां बाहर की ओर एक-एक गज पर बनती हैं। पायों की संख्या से लगभग डेढ़ गुना कलियों की संख्या होती है। भट्ठे में कली की दो घाटी होती है।
- **घाटी-** भट्ठे के बाहरी दिवार में एक निकास स्थान से दूसरे निकास स्थान के बीच के भाग को घाटी कहते हैं।
- **मोरी या नाली-** प्रत्येक लाईन में 8 या 9 मोरी होती है, जिसके ऊपर 6" का चौकोर छेद होता है, जहां से कोयला ईंट पकाने के लिए डाला जाता है। दो ईंट को लाईन में रखकर प्रत्येक लाईन में इसका निर्माण किया जाता है। आग के समय इसे लोहे के ढक्कन से ढका जाता है।

- खॉचा- प्रत्येक लाईन में पायों के बीच में HORIZONTAL खॉचे होते है, जिसके निर्माण में 300-600 ईंट लगती है, जो प्रत्येक पाये को जोड़ने का कार्य करता है। जिससे पायों में बैलेंस बना रहता है।
- झण्डी/पूजा का स्थान- यह वह स्थान होता है जहां पर भट्ठे की पूजा करके आग लगाई जाती है। बांस में लाल कपड़े का झण्डा लगा कर खड़ा कर दिया जाता है। आग यहीं से चलकर पुन: यहीं आ जाती है तो एक चक्कर पूरा हो जाता है।
- चिमनी- यह ईंट एवं सीमेण्ट से बनी होती है, जो भट्ठे के बीच में या बाहर होती है। सामान्यतया इसकी ऊचाई 60-150 फीट की होती है और आग बढ़ने में मदद करती है। किसी भट्ठे में ऊंची चिमनी होने का अर्थ है कि भट्ठे की आग जल्दी चल रही है और उसकी क्षमता अधिक है। वस्तुत: चिमनी की ऊंचाई भट्ठे के आकार और प्रकार पर निर्भर है।
- सांचा- यह लोहे/लकड़ी का बना होता है। यह तीन ओर से बन्द होता है। इससे गीली मिट्टी ईंट का आकार ले लेती है और कच्ची ईंट तैयार हो जाती है अर्थात् इसी से पथाई होती है।
- फड़- उस स्थान को कहते हैं, जहां पथेरे कच्ची ईंट पाथकर सूखने के लिए रखते हैं।
- चट्टा- सूखी कच्ची ईंटों को तरतीब से रखी जाती है, उसे चट्टा कहते हैं। पकी ईंट का भी चट्टा होता है।
- टामा- कच्ची ईंट को फड़ पर चार-पांच दिन सूखने के बाद पुन: उन्हें अच्छी तरह से सूखने के लिए दो ईंट झरोखे बनाता हुआ, एक सीध में व कई रद्दों में रखा जाता है।

5- भट्ठे पर रखे जाने वाले लेखे (Account Book)

- रोकड़ बही व खाता बही
- पथेरा व कच्ची ईंट का स्टाक रजिस्टर
- भराई व निकासी रजिस्टर
- पकी ईंट का स्टाक रजिस्टर
- कोयला व लकड़ी का स्टाक रजिस्टर
- खरीद /Inward Supply के टैक्स इनवायस
- बिक्री/ Outward Supply के टैक्स इनवायस

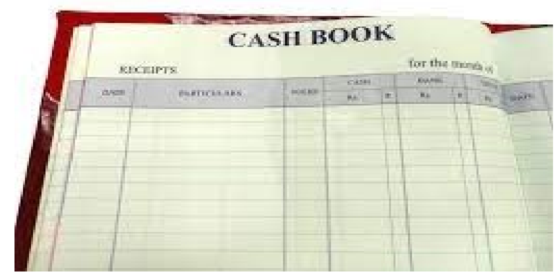

6- भट्ठे पर जनशक्ति (Man Power)

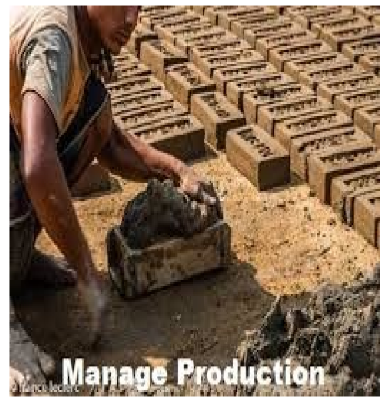

मालिक मुंशी (Accountant) पथेरा मिस्त्री बोझवा

झोकवॉ **कौड़ी वाला/ टोकेन मैन** खच्चर/ट्राली वाला (Transportaion)

7- भट्ठा सत्र (भट्ठे का संचालन सीजन)

प्राय: भट्ठे का कार्य नवम्बर से प्रारम्भ होकर जून/जुलाई (मानसून के प्रारम्भ) तक चलता है ।

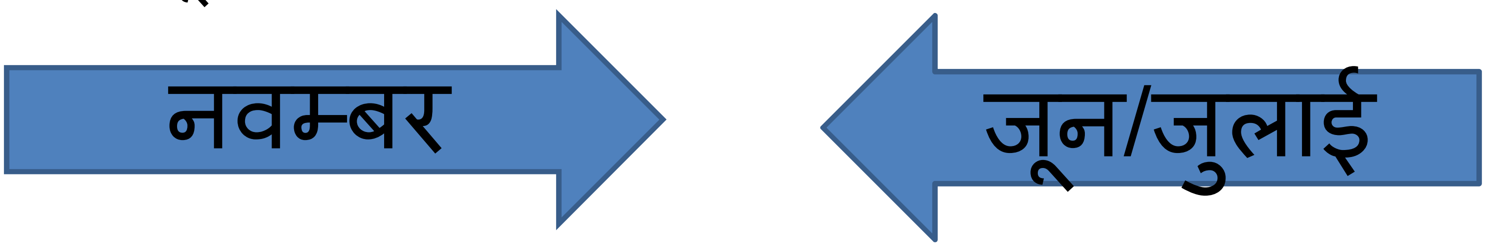

8- ईंट के आकार का सामान्य मानक

9 इंच (लम्बाई) X 4 इंच (चौड़ाई) X 2.5 इंच (मोटाई)

एक ईंट का आयतन= लम्बाई X चौड़ाई X ऊंचाई (मोटाई) = 90 इंच^3 (0.052 फीट ^{3})

9- भट्ठे का प्रकार (According to spatial arrangement of bricks)

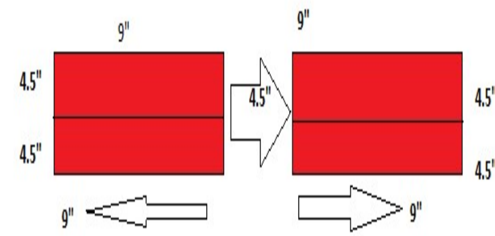

(अ) Traditional or low draft technology kiln-

Fix chimney bulls trench kiln (F.C.B.T.K.)

(i) गोल भट्ठा-इसकी क्षमता समान्यत: **6** से **10** लाख ईंट प्रति चक्कर होती है ।

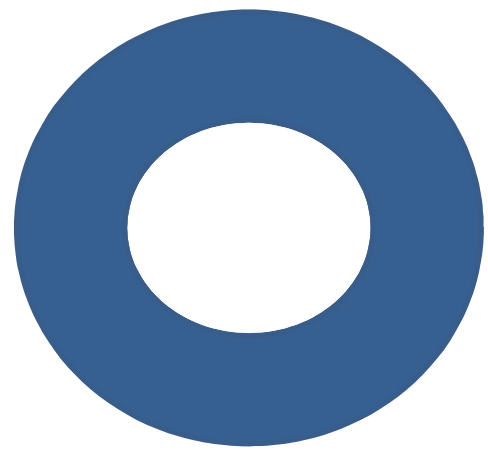

(ii) बादामी/अण्डाकार भट्ठा-इसकी क्षमता समान्यत: **8** से **20** लाख ईंट प्रति चक्कर होती है ।

निकलने वाले ईंट का स्टैण्डर्ड अनुपात–

A श्रेणी - 60%

B श्रेणी - 20%

C श्रेणी - 20%

कोयले का खपत प्रति लाख ईंट- 17-18 टन

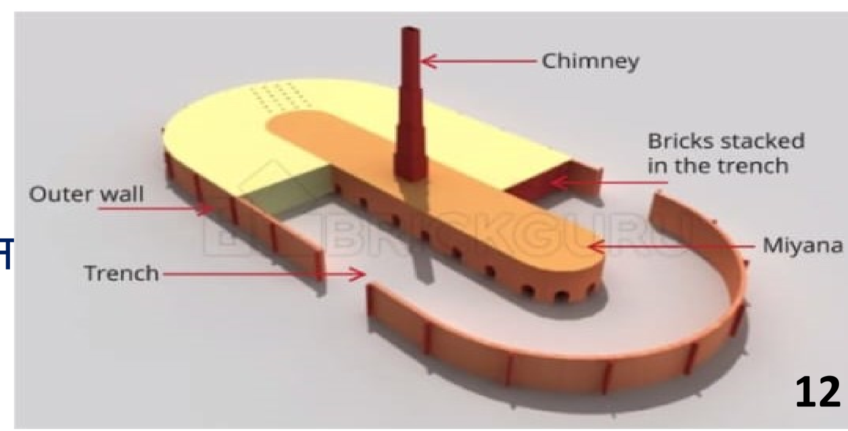

(ब) High draft technology kiln-

इस प्रकार के भट्ठे आयताकार होते हैं । इसमें चिमनी 60-80 फीट तक ऊंची होती है । इसके चिमनी में बिजली या डीजल इंजन चालित पंखा होता है, जिसके माध्यम से धुंआ खींचकर बाहर निकाला जाता है, जिससे आग तीव्र गति से आगे बढ़ती है । इसमें कोयले का खर्च लगभग 25 प्रतिशत कम होता है तथा प्रदूषण कम होता है।

❖ इसमें ईंटों की पकाई तीव्र गति से होती है।

❖ प्रतिदिन लगभग 30 हजार ईंटे पक जाती हैं।

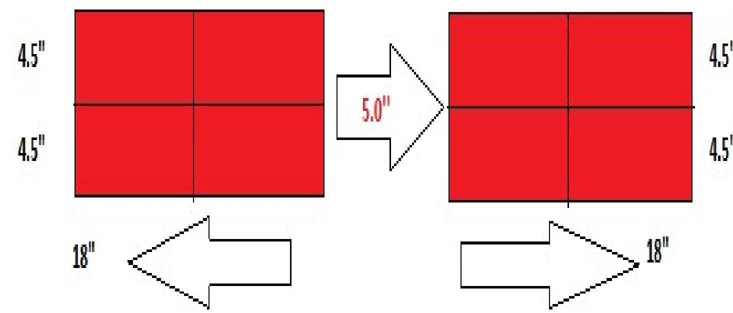

भट्ठा- नये तकनीक के अनुसार

ज़िगज़ैग भट्ठे-

इस प्रकार के भट्ठे आयताकार होते हैं, जिसकी मुख्य नवीनता हवा के बहाव के लिये ज़िगज़ैग रास्ते का होना है। ज़िगज़ैग रास्ते में भट्ठे में हवा के द्वारा तय किये जाने वाले रास्ते की लम्बाई बढ़ा दी और हवा के बहाव में उग्रता **(turbulence)** उत्पन्न होती है । चिमनी की सहायता से हवा के बहाव के लिये आवश्यक ड्राफ्ट (खींचान) पैदा किया जाता है। चिमनी की ऊंचाई 150-160 फीट होती है।

जिगजैग भट्ठे दो प्रकार के होते हैं-

- **नैचुरल ड्राफ्ट जिगजैग भट्ठा-** जिसमें भट्ठे में हवा के बहाव के लिए आवश्यक ड्राफ्ट चिमनी द्वारा बनता है।
- **इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट जिगजैग भट्ठा-** जिसमें भट्ठे में हवा के बहाव के लिए आवश्यक ड्राफ्ट एक पंखे द्वारा बनता है।

जिगजैग तकनीक के मुख्य लाभ-

- ईंटों की भराई चैम्बर में होती है। प्रत्येक चैम्बर में लगभग 15 हजार ईंट होती है। प्रतिदिन दो से तीन चैम्बर की पकाई होती है
- आग की गर्मी चैम्बर में देर तक बनी रहती है, जिसके कारण ईंट की पकाई कम कोयले में होती है, जिससे ईंधन की खपत में लगभग 25 % की बचत होती है।
- उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता-80% से अधिक ईंटें क्लास-1 गुणवत्ता की होती है।
- कार्बन डाइ आक्साइड(CO_2) और पी.एम. (PM) उत्सर्जन में काफी कमी।
- लम्बाई कम तथा गहराई व चौड़ाई ज्यादा होती है। प्रत्येक पाये में 28-30 रद्दा होता है।
- इसमें ईंटों का भरान चार ईंटों से आधार बनाकर जिग-जैग पद्धति पर होता है।

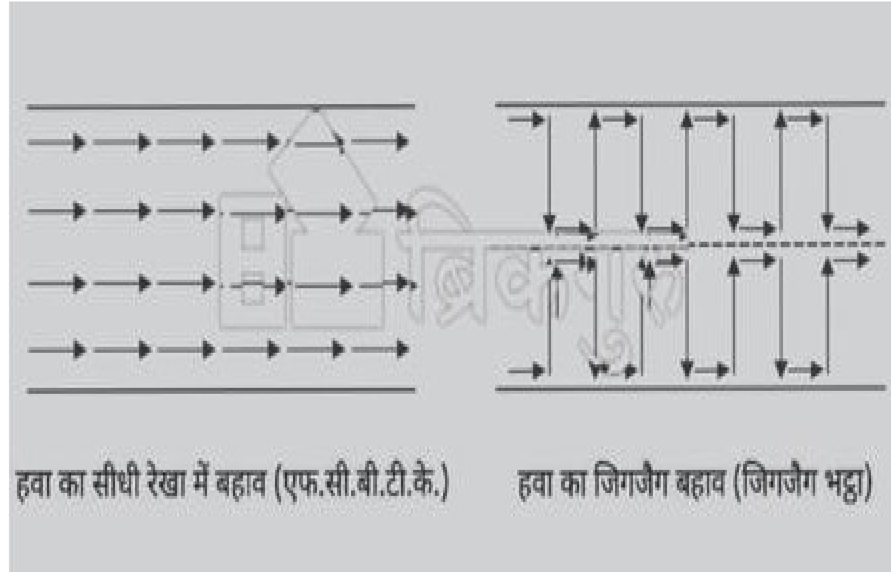

10- उत्तर प्रदेश में ईंट पर करदेयता एवं प्राप्त कर की स्थिति

- उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में बिक्री कर, वाणिज्य कर, वैट एवं माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ईंट भट्ठों पर निर्धारित कर की भिन्न भिन्न स्थितियां रहीं हैं । आज के परिदृश्य में माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ईंट भट्ठों से कर की व्यवस्था पर चर्चा की जानी समीचीन होगी ।

- उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-10 में ट्रेडर एवं निर्माताओं हेतु आवर्त के आधार पर समाधान योजना प्रतिपादित की गई, जिसके अंतर्गत ईंट निर्माताओं पर 01 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गई ।

- दिनांक 01/04/2022 से अधिसूचना सं0- 231/XI-2-22-9 (47)/17-T.C.180-U.P. Act-1-2017-Order-(231)-2022 दिनांक-31/03/2022 से ईंट निर्माताओं पर 06% बिना आई0टी0सी0 के लाभ के एवं 12% आई0टी0सी0 के लाभ के साथ करदेयता निर्धारित की गई ।

- इसके साथ ही ईंट निर्माण एवं ट्रेडिंग इकाईयों के लिए पंजीयन हेतु Threshold सीमा Rs. 40 लाख से घटाकर Rs. 20 लाख की गई ।

R3B & EWB Yearwise Report (Eint Bhattha Brick-kiln) GSTR-3B

Assessment Year - 2021-2022

E-Way

S. No.	Zone	Total Dealer	Turnover	Net Tax	Total ITC	TOTAL LIABILITY DECLARED	TOTAL CASHSETOFF	TOTAL ITCSETOFF	Total Inward	Total Inward (Coal)	Total Outward
1	Agra	20	55,562,214.14	1,088,224.00	1,364,975.97	3,259,629.28	1,569,788.00	1,689,847.00	24,072,497.86	23,623,097.86	635,488.00
2	Aligarh	484	1,375,705,848.42	25,856,262.00	72,634,073.48	84,175,655.49	30,853,814.00	53,619,060.00	728,880,408.80	581,552,673.06	27,158,803.72
3	Ayodhya	2163	3,000,409,544.73	43,364,948.00	105,894,380.50	153,475,112.34	70,168,380.00	83,585,526.00	2,950,040,032.96	2,840,591,810.75	20,272,471.33
4	Bareilly	956	3,485,159,107.12	42,713,308.00	120,750,888.67	193,916,902.53	85,272,852.00	108,929,082.00	1,657,660,547.90	1,534,912,037.26	19,070,303.42
5	Etawah	642	1,042,575,073.95	18,323,465.00	25,716,247.50	47,851,804.76	27,320,226.00	21,355,032.00	857,371,902.36	822,963,494.15	17,838,354.60
6	G.B. Nagar	55	4,728,800,482.58	161,052,654.00	691,213,160.07	804,478,366.35	118,122,891.00	686,355,492.00	1,744,077,747.89	153,684,782.99	272,817,913.32
7	Ghaziabad I	281	2,135,492,721.43	29,013,113.00	180,166,454.93	167,048,611.95	20,308,167.00	146,740,481.00	1,164,221,340.60	678,844,922.57	423,205,013.15
8	Ghaziabad II	197	827,545,275.90	18,214,189.00	81,263,038.21	90,971,968.52	11,821,624.00	73,740,082.00	760,666,049.60	373,243,987.34	109,575,025.48
9	Gorakhpur	1881	4,516,595,508.74	133,402,595.00	274,260,347.29	472,286,353.91	219,927,139.00	252,359,235.00	3,901,051,775.35	3,144,140,356.05	169,930,763.30
10	Jhansi	32	58,274,909.26	766,240.00	3,548,109.22	3,392,155.25	901,978.00	2,490,179.00	36,510,742.75	31,649,305.14	741,115.00
11	Kanpur I	442	536,896,358.98	8,719,622.00	19,900,225.17	31,913,972.62	15,843,284.00	16,070,695.00	632,672,745.36	591,497,495.13	30,407,312.57
12	Kanpur II	152	194,601,308.84	4,597,888.00	5,808,217.56	12,536,228.77	7,952,766.00	4,610,187.00	217,322,419.28	198,003,168.35	18,883,694.00
13	Lucknow I	756	1,374,399,498.73	29,521,617.00	60,634,550.84	84,997,663.14	34,396,245.00	51,375,647.00	1,269,228,654.87	1,147,011,492.78	78,109,211.36
14	Lucknow II	600	2,480,622,665.85	43,442,674.00	72,284,137.58	131,941,046.71	76,803,812.00	55,320,475.00	1,171,124,424.78	1,113,680,020.16	16,790,592.95
15	Meerut	533	3,699,250,734.92	59,608,791.00	179,222,392.67	241,831,317.87	69,756,386.00	179,569,755.00	1,950,001,515.71	1,731,251,435.11	318,738,708.71
16	Moradabad	864	1,951,232,724.24	27,877,135.00	81,564,573.34	109,702,234.73	43,048,893.00	66,997,741.00	1,303,680,088.19	1,166,026,091.20	46,995,132.16
17	Prayagraj	1345	3,075,911,684.39	53,890,936.00	354,978,467.41	262,722,903.64	28,301,380.00	234,426,109.00	2,179,341,849.60	1,276,710,735.38	163,168,161.02
18	Saharanpur	560	3,342,466,776.53	40,357,281.00	154,699,942.44	214,173,016.84	74,798,008.00	141,730,296.00	1,536,256,085.05	1,251,979,005.36	195,595,337.73
19	Varanasi I	678	354,692,865.27	4,176,103.00	19,551,969.62	26,431,957.98	6,125,746.00	21,244,380.00	712,115,183.34	669,992,474.33	62,304,432.91
20	Varanasi II	1983	979,085,250.29	17,104,262.00	63,990,819.86	73,999,083.90	16,541,701.00	54,672,557.00	2,054,643,451.45	1,907,795,714.28	46,144,947.48
	Total	14624	39,215,280,554.31	763,091,307.00	2,569,446,972.33	3,211,105,986.58	959,835,080.00	2,256,881,858.00	26,850,939,463.70	21,239,154,099.25	2,038,382,782.21

R3B & EWB Yearwise Report (Eint Bhattha Brick-kiln)					GSTR-3B	Assessment Year - 2022-2023			E-Way		
S. No.	Zone	Total Dealer	Turnover	Net Tax	Total ITC	TOTAL LIABILITY DECLARED	TOTAL CASHSETOFF	TOTAL ITCSETOFF	Total Inward	Total Inward (Coal)	Total Outward
1	Agra	20	47,852,078.58	1,482,072.00	471,242.74	3,311,729.26	2,796,671.00	515,058.00	14,962,746.50	14,040,922.50	228,095.00
2	Aligarh	484	2,210,288,666.28	59,735,684.00	47,162,931.70	173,888,866.45	116,473,936.00	57,687,860.00	505,421,203.30	293,820,282.09	67,307,156.34
3	Ayodhya	2163	8,511,820,367.56	242,370,392.00	66,725,758.67	536,301,150.85	471,149,046.00	66,515,783.00	3,393,196,791.95	3,264,155,740.34	47,902,220.68
4	Bareilly	956	5,427,981,904.54	134,604,817.00	35,409,786.04	355,470,977.82	307,496,022.00	49,121,133.00	1,481,919,785.19	1,311,159,197.35	29,028,381.29
5	Etawah	642	3,041,658,606.13	85,266,295.00	7,344,827.22	178,859,633.75	170,801,352.00	9,255,609.00	829,088,091.89	765,919,423.14	5,817,220.56
6	G.B. Nagar	55	5,355,888,337.72	238,184,150.00	808,930,366.51	963,250,418.73	125,403,281.00	837,847,140.00	2,202,716,240.26	28,333,262.50	570,666,373.21
7	Ghaziabad I	281	2,558,511,133.50	54,219,903.00	221,090,378.58	319,717,075.00	66,792,213.00	254,195,745.00	1,065,201,197.84	289,575,758.85	537,549,525.71
8	Ghaziabad II	197	1,034,491,148.00	28,643,199.00	46,397,575.32	101,083,381.80	47,414,855.00	54,510,544.00	424,721,566.25	160,112,663.40	84,539,855.41
9	Gorakhpur	1881	9,649,462,613.70	336,290,777.00	319,485,523.00	929,081,916.55	616,683,030.00	315,883,449.00	6,320,036,325.31	5,404,855,716.77	220,837,306.63
10	Jhansi	32	169,896,770.81	3,950,365.00	1,612,493.76	11,841,158.90	7,870,630.00	3,970,531.00	30,865,189.51	23,759,722.36	763,231.58
11	Kanpur I	442	2,549,021,510.36	72,570,339.00	15,772,504.18	162,857,776.27	148,448,177.00	14,411,662.00	567,009,396.28	523,674,772.54	65,762,588.16
12	Kanpur II	152	1,034,738,172.87	31,255,539.00	3,758,710.08	67,217,223.46	63,980,981.00	3,383,561.00	207,965,493.79	181,888,081.91	24,041,927.00
13	Lucknow I	756	3,344,568,464.52	101,868,853.00	36,986,565.44	225,526,574.75	189,302,468.00	36,314,438.00	1,125,425,116.53	1,038,211,252.64	51,949,171.80
14	Lucknow II	600	3,917,837,464.46	118,133,020.00	20,282,466.35	254,122,461.10	233,878,198.00	20,458,911.00	930,082,403.74	874,325,788.65	11,216,453.05
15	Meerut	533	3,026,466,619.48	79,486,546.00	125,632,976.62	317,517,942.92	173,612,357.00	145,554,298.00	1,475,530,308.77	1,267,062,525.60	473,911,496.70
16	Moradabad	864	3,316,921,272.95	87,492,394.00	30,089,944.02	232,693,604.06	192,105,316.00	40,800,371.00	1,294,052,116.50	1,150,753,498.44	134,286,199.06
17	Prayagraj	1345	5,250,770,422.26	166,408,969.00	276,621,053.20	505,365,394.00	214,152,353.00	293,112,659.00	2,295,636,506.91	1,482,711,265.89	120,035,394.72
18	Saharanpur	560	3,362,112,884.38	71,218,548.00	76,602,808.32	297,108,390.42	194,518,319.00	103,528,581.00	1,036,659,217.45	759,937,900.01	281,826,786.62
19	Varanasi I	678	1,818,072,646.45	39,514,325.00	101,810,788.82	139,555,075.68	62,495,871.00	77,500,850.00	1,671,680,890.91	1,522,041,790.11	664,999,191.35
20	Varanasi II	1983	5,141,862,140.19	147,027,721.00	80,008,552.95	360,718,260.36	282,126,624.00	80,824,036.00	2,970,792,785.70	2,735,819,102.03	133,825,690.52
	Total	14624	70,770,223,224.74	2,099,723,908.00	2,322,197,253.52	6,135,489,012.13	3,687,501,700.00	2,465,392,219.00	29,842,963,374.58	23,092,158,667.12	3,526,494,265.39

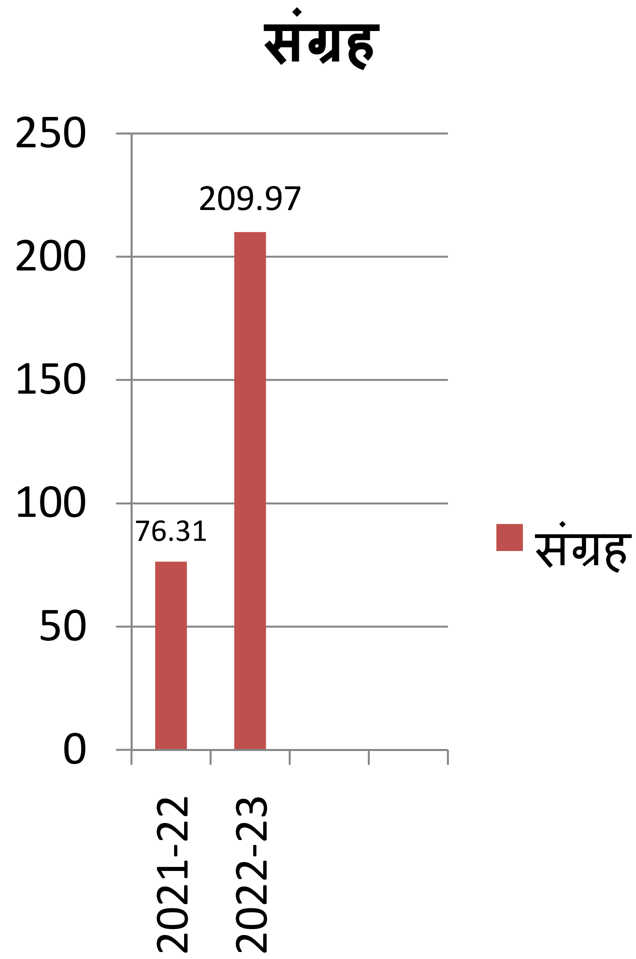

❖ उपरोक्त डेटा विश्लेषण से स्पष्ट है कि एक प्रतिशत की समाधान राशि पर वर्ष-2021-22 में ईंट भट्ठों से प्रदेश में कुल रू 76.31 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी। वर्ष-2022-23 में अधिनियम में हुए बदलाव के उपरान्त, जिसमें न्यूनतम 6 प्रतिशत की दर से धनराशि कर के रूप में प्राप्त होनी थी, प्रदेश में ईंट भट्ठों से रू 209.97 करोड़ की धनराशि कर के रूप में प्राप्त हुयी है, जो अनुमानित गत वर्ष 2021-22 से न्यूनतम 6 गुना होनी चाहिए थी से अत्यन्त कम है।

❖ वर्ष- 2022-23 में भट्ठों से GST के मद में प्राप्त कुल कर के सापेक्ष 0.3 प्रतिशत का योगदान रहा है।

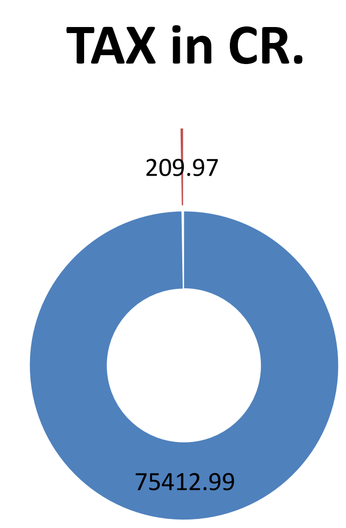

GST अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रदेश में वैट व्यवस्था प्रचलित थी जिसके अन्तर्गत ईंट भट्ठों हेतु एकमुश्त पाया आधारित समाधान लागू थी, जिसमें प्रदेश को अधिक राजस्व प्राप्त होता था, जिसका तुलनात्मक विवरण निम्नवत है-

VAT Regime (Rs. In Cr.)	
वर्ष	प्राप्त राजस्व
2014-15	1049.06
2015-16	894.19
2016-17 **(01-10-16 To 30-06-2017)**	705.66

GST Regime (Rs. In Cr.)	
वर्ष	प्राप्त राजस्व
2019-20	179.58
2020-21	168.45
2021-22	76.31
2022-23	210.00

VAT Regime (Rs. In Cr.)

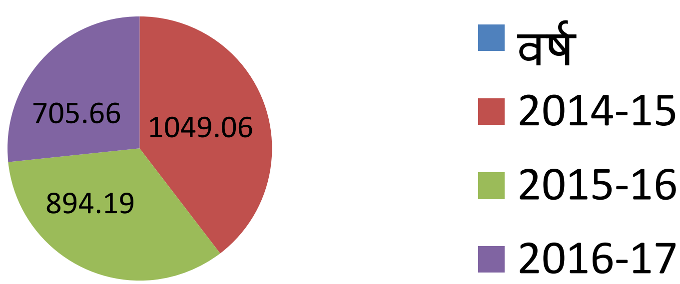

GST Regime (Rs. In Cr.)

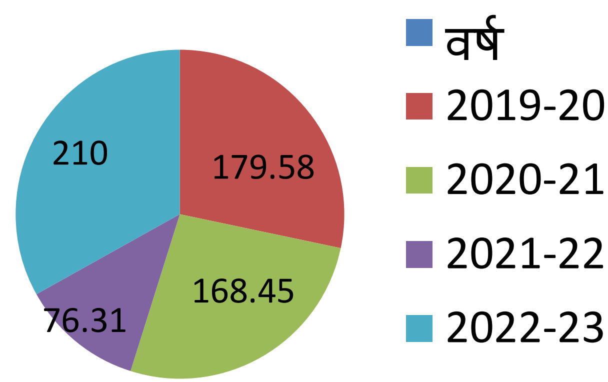

11- क्षमता का निर्धारण/ आंकलन

ईंट भट्ठों की क्षमता का निर्धारण/ आंकलन दुष्कर कार्य है, फिर भी कुछ पैरामीटर के आधार पर क्षमता निर्धारण/आंकलन किया जा सकता है-

- पाये के ईंटों के आधार पर- (गोल या बादामी भट्ठा) यदि भट्ठा 20 रद्दा तथा 19 पाया व 01 ईंट पाटन का है तो औसतन 01 पाये के 01 रद्दे में 7-8 ईंट आती है। इस प्रकार 01 पाये में 1 X 20 x 7=140 ईंट होगी तथा 19 पाये/ एक लाईन में लगभग 2700 ईंट होगी। प्रत्येक लाईन में खांचे होते है। प्रत्येक खॉचें में लगभग 300 ईंटें होती हैं, इस प्रकार प्रत्येक लाईन में लगभग 3000 ईंटें होगी । इस प्रकार एक घाटी में लाईनों की संख्या गिनकर निकाला जा सकता है कि एक घाटी में कुल कितनी ईंट होगी। इस प्रकार भट्ठे में घाटी की संख्या के आधार पर एक चक्कर में क्षमता का आंकलन किया जा सकता है। यदि पाया तथा रद्दा की संख्या घट या बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में क्षमता घट या बढ़ सकती है ।
- बादामी भट्ठा के दोनों छोर पर एक-एक गज पर कली लगाई जाती है, जिसकी संख्या पाये से डेढ़ गुना होती है । उसको भी जोड़कर क्षमता का आंकलन करना उचित होगा। कली की दोनों घाटी में अन्य घाटी से लगभग 5 प्रतिशत ईंट कम होती है, क्योंकि कली पाये से मोटाई में आधी होती है ।

- एक वर्ग गज में एक ईंट के पाटन में 32 ईंट आती है तथा दो ईंट के पाटन में 64 ईंट आती है। क्षमता निर्धारण में इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है।
- इसी प्रकार हाई ड्राफ्ट या जिगजैग भट्ठे में पाये की मोटाई दोगुना होती है अर्थात एक रद्दे में 14-16 ईंट आती है । इस प्रकार पाये में रद्दों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा कुल पाये को ध्यान में रखकर एक लाईन में ईंटों की संख्या निकाली जा सकती है । इन भट्ठों में भराई चैम्बर में होती है। प्रत्येक चैम्बर में लाईन की संख्या ज्ञात कर तथा भट्ठे में कुल चैम्बर की संख्या ज्ञात कर भट्ठे के प्रति चक्कर क्षमता का निर्धारण/आंकलन किया जा सकता है । इसमें भी प्रत्येक लाईन में खांचे होते हैं, जिनमें ईंटों की संख्या लगभग 600 होती है । इसी प्रकार उपरोक्तानुसार पाटन की ईंटों को भी क्षमता निर्धारण में ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है।

- **लगाये गये चक्करों की संख्या ज्ञात करना-** ईंट भट्ठे की क्षमता के आंकलन हेतु झण्डी के स्थान अर्थात जहां भट्ठे में प्रथम बार आग लगाई जाती है, का स्थान एवं शुरू करने की तिथि ज्ञात कर चक्कर ज्ञात किया जा सकता है। सामान्यत: भट्ठे का एक चक्कर 24-28 दिनों में पूर्ण होता है । प्रत्येक चक्कर में क्षमता के आधार पर कुल चक्कर का गुणा कर उत्पादन निर्धारित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त-

- कच्ची ईटों का स्टाक
- पकी ईटों का स्टाक
- भट्ठे के अन्दर की कच्ची एवं पक्की ईटों का स्टाक
- ईंधन का स्टाक एवं खपत की स्थिति
- कर्मचारियों/कर्मिकों की संख्या
- प्रयुक्त किये जा रहे मशीनरियों की संख्या क्षमता के अनुसार

- खनन विभाग में दाखिल किये गये विवरणों का मिलान
- भट्ठे में आग लगने के बाद सामान्यत: निरन्तर क्रम में चलता रहता है। इस आधार पर भी फूंकाई अवधि ज्ञात की जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त ईंधन के स्टाक/खपत का आंकलन भी अति आवश्यक है। Fix chimney bulls trench Kiln में 17-18 टन में एक लाख ईंट पकाई जाती है तथा जिग-जैग व हाईड्राफ्ट भट्ठे में इसकी अपेक्षा 25 प्रतिशत ईंधन कम लगता है।
- विभागीय पोर्टल से भट्ठा MIS से कोयले के inward मात्रा एवं मूल्य की सूचना प्राप्त की जा सकती है।

उक्त सभी बिन्दुओं का समावेश करने के उपरान्त ईंट भट्ठे का क्षमता आंकलन/कर निर्धारण किया जा सकता है।

12- ईंट भट्ठों द्वारा करापवंचन हेतु अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया

- इस व्यवसाय में बिक्री अधिकतर नगद होती है और सामान्यत: 50 हजार से कम की होती है, जिस पर ई वे-बिल लागू नहीं होता है। अधिकतर बिक्री B to C होती है तथा टैक्स इनवायस नहीं जारी किये जाते हैं।
- ईंटों की बिक्री बाजार मूल्य से कम मूल्य पर घोषित की जाती है।
- ईंट भट्ठों पर सामान्यत: एकाउन्ट बुक नहीं रखे जाते हैं।
- बिना प्रपत्रों के ईंधन, कोयला, लकड़ी, बगास आदि की खरीद कर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा अघोषित रूप से निर्मित ईंटों की बिक्री कर दी जाती है, जिस पर कर प्राप्त नहीं होता है।
- भट्ठे प्राय: चालान के माध्यम से बिक्री करते हैं, जिसकी बाद में इनवायस जारी नहीं करते हैं।

13- सर्वेक्षण/निरीक्षण की चेकलिस्ट

1- भट्ठे के मालिक के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना जैसे- नाम, पता तथा भट्ठा स्वयं का है अथवा किराये पर चलाया जा रहा है।

2- सर्वेक्षण के समय पायी गयी लेखा बहियों का उल्लेख करना, साथ ही किन लेखा बहियों को रेगुलर कोर्स में व्यापारी द्वारा नहीं रखा जा रहा है उसका उल्लेख।

3- व्यापारी द्वारा क्या क्षमता बतायी गयी।

4- भट्ठा फुकाई का दिनांक एवं सर्वेक्षण की तिथि तक लगाए गए कुल चक्करों की संख्या।

5- प्राय: पायों की संख्या के अनुसार ही भट्ठे की चौड़ाई निर्धारित होती है। अत: भट्ठे की चौड़ाई को मापना आवश्यक है।

6- भट्ठे की गहराई का मापन, जिससे रद्दों की संख्या ज्ञात हो सके। एक फीट में रद्दों की संख्या तीन होती है।

7- भट्ठे के अन्दर घाटी/चैम्बरवार ईटों की संख्या का आंकलन।

8- भट्ठे के बाहर कच्ची ईंट व पकी हुयी ईटों की संख्या का आंकलन।

9- भट्ठे पर कोयले के स्टाक की गणना करना और लेखा पुस्तकों से पुष्टि करना।

10-भट्ठे पर कार्य करने वाले पथेरों एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना।

11- प्रयुक्त किये जा रहे मशीनरियों की संख्या क्षमता के अनुसार

12- ईंटों की प्रचलित बिक्री दर ज्ञात करना तथा सर्वेक्षण के समय पाये गये साक्ष्य का भी उल्लेख किया जाय।

13- व्यापारी द्वारा ईंट की सप्लाई हेतु किराये का वाहन प्रयोग किया जाता है अथवा निजी, को ज्ञात करना तथा उनके द्वारा जारी किये गये बिलों में यह देखना की भाड़ा अलग से लिया जा रहा है अथवा पहुंचाई के साथ ईंट भेजी जा रही है।

14- भट्ठे का सर्वेक्षण सीजन वर्ष में दो बार अवश्य कर लेना चाहिए। प्रथम जनवरी/फरवरी एवं द्वितीय मई/जून।

15- कोयले की खरीद एवं उपलब्ध स्टाक का आंकलन करते हुए निर्माण क्षमता की गणना करना।

16- खनन विभाग में दाखिल विवरण से उत्पादन क्षमता का मिलान।

14- न्याय निर्णयन अधिकारी के लिए चेकलिस्ट

- GST अधिनियम की धारा 71 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि Any officer authorized by a proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, has the authority to access the premises of a registered person's business. This provision grants the officer the power to inspect books of account, documents computers, computer programs, computer software, and other relevant items available at the place of business. The purpose of this access is to conduct audits, scrutinize records, verify information, and perform necessary checks to safeguard the interest of revenue.

अर्थात यदि रिर्टन स्क्रूटनी/आडिट इत्यादि के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि करापवंचन किया जा रहा है तो अधिनियम की उक्त धारा का उपयोग करते हुए व्यापार स्थल पर प्रवेश किया जा सकता है तथा जांच की जा सकती है।

- भट्ठों पर प्रयुक्त मुख्य ईंधन कोयले की खरीद की सूचना विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है तथा यह स्थापित तथ्य है कि 18 टन कोयले से एक लाख ईंट का निर्माण ट्रेडिशनल भट्ठे में किया जाता है। जिगजैग तथा हाई ड्राफ्ट भट्ठें में 25 प्रतिशत कोयले की खपत कम होती है। यदि रिटर्नों में व्यापारी द्वारा उक्त अनुपात में बिक्री नहीं दिखाई जा रही है तो भट्ठे की जांच कर उसके वास्तविक निर्माण पर कर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- यदि भट्ठों की निर्माण क्षमता के अनुसार वर्ष में निर्मित ईटों की संख्या निर्धारित हो जाए तो उक्त समस्त निर्माण पर कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ईंट भट्ठों की जांच न्यूनतम दो बार फूंकाई एवं बंदी के समय अवश्य कर ली जाए।
- लेखा पुस्तकें न पाये जाने/ प्रस्तुत न करने की दशा में नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए।
- धारा 9(3) के अन्तर्गत G.T.A से ली गयी सेवाओं के सापेक्ष दिये गये टैक्स की जांच कर लेनी चाहिए।
- किराये पर प्रयुक्त मशीनरी एवं वाहनों पर लिए गये किराये पर GST की देयता की जांच करना।
- यदि भट्ठा मालिक द्वारा 12 प्रतिशत की दर से कर जमा किये जाने का विकल्प चुना गया है तो उसके द्वारा क्लेम की गयी ITC की सघनता से जांच की जाय।

महत्वपूर्ण निर्णय

- The brick kiln with a capacity of 4 lacs normally takes 6 days in firing the one-lac bricks. *[National Brick Co. v. Commissioner of Sales Tax STT 1988 Allahabad High Court-44]*
- Normally brick kiln of 6 lac capacity takes 5 days to fire one lac bricks. *[Mansha Ram and Sons v. Commissioner of Sales Tax STI 2001 Allahabad High Court 42: 2001 UP.T.C-691, decided on 6.9.2000*]
- A Brick Kiln of 7-lac capacity takes 36 days in completing one round of firing. [*Agrawal Brick Works v. Commissioner of Sales Tax STI 1988 Allahabad High Court- 128]* Kiln normally runs from December to June. In case, if the kiln was closed during the aforesaid period, burden lies upon the dealer to prove the closure. *[Jyoti Ent Udyog, Allahabad v. Commissioner of Trade Tax, U.P., 2008 (44) STJ -46, decided on 3.4.2007 by the Allahabad High Court]*
- Normally the brick kiln operates from November to June. If the assesse claims closure of the kiln during the above period, burden lies upon the assessee to prove. *[Shivam Ent Bhatta v Commissioner of Commercial Tax, U.P., decided on 10.1.2011 by the Allahabad High Court, 2011 (51) STJ 230]*

नोटः- इसका भी ध्यान रखा जाय कि वर्तमान में भट्ठों की पद्धति एवं क्षमता में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है।

धन्यवाद!